INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP48434576355799V
Certificate Issued Date	:	01-Mar-2023 02:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14148804/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14148804908288261926 21V
Purchased by	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	LAND SIT AT MAUZA SIMARDHA,TEH AND DIST JHANSI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAM BABU SO KHUMAN
Second Party	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Stamp Duty Paid By	:	SHRI PEETAMBARA INFRACITY LLP
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	49,000 (Forty Nine Thousand only)

सत्यमेव जयते

प्रयुक्त स्टाम्प

IN-UP48434576355799V

Please write or type below this line

JD 0034773923

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक	–	**प्रारूप 4 कं0को0 0334 के अनुसार 84,00,000/– रूपया प्रति हेक्टेयर पेज नं0 105**
स्टाम्प का कुल योग	–	**49,000/–**
दस्तावेज का प्रकार	–	**बैनामा**
विक्रय मूल्य	–	**7,00,000/–**
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	–	**6,81,000/–**
मौजा	–	**सिमरधा**
ब्लॉक	–	**बड़ागॉव**
मापन की इकाई	–	**हेक्टेयर**
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	–	**0.081 हे0**
सड़क की स्थिति	–	किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है
पेड़ों का मूल्यांकन	–	कोई पेड़ नही है।
बोरिंग/कुआँ/अन्य	–	कोई कुआं नही हैं।
प्रथम पक्ष की संख्या	–	**एक**
द्वितीय पक्ष की संख्या	–	**एक (निष्पादक तीन)**

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष – श्री रामबाबू (जाति–लोधी) पुत्र श्री खुमान निवासी– 5, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी (**PAN-BNHPR-3435-D**) (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 **XXXX XXXX 3072** से की गई है मो0नं0 9506349943) (पेशा– कृषि)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष – श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी पता जीएस–01, विजन हाईट्स हाउसिंग सोसायटी, ओमशान्ति ग्रीन के सामने, राजघाट कॉलोनी के पास, शिवपुरी रोड, झांसी (**PAN-AEQFS-8625-D**) द्वारा डायरेक्टर्स

1. श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू निवासी– 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 **XXXX XXXX 3212** से की गई है मो0नं0 9452230749) (पेशा– व्यापार)

2. श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी– 452/2ए, सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड, शहर व जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 **XXXX XXXX 4694** से की गई है मो0नं0 9415057799) (पेशा– व्यापार)

3. श्री शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी– 1054/2ए, खाती बाबा मंदिर, ईसाइटोला, शहर व जिला झाँसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 0376 से की गई है मो0नं0 9935186919) (पेशा– व्यापार)

<u>सम्पत्ति का विवरण</u> :– अर्द्धनगरीय क्षेत्र की आराजी भूमिधरी वाकै मौजा सिमरधा ब्लॉक बड़ागॉव परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी झाँसी–ग्वालियर रोड से दूर यानि किसी भी सवऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है तथा आबादी से 200 मीटर की त्रिज्या से अधिक दूर स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है, विक्रित आराजी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं, राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषकीय भूमि है जो असिंचित है विक्रित आराजी में कोई पेड, कुंआ आदि नही है, वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है विक्रित आराजी विक्रेता ने जरिये बैनामा दिनांक 29–12–1995ई0 श्रीमती मीरा मित्तल पत्नी श्री लक्ष्मीरमण मित्तल से खरीद किया था जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 1458 के पृष्ठ 285/308 पर क्रम संख्या 6104 दिनांक 29–12–1995ई0 दर्ज है। विक्रित आराजी में उ0प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा

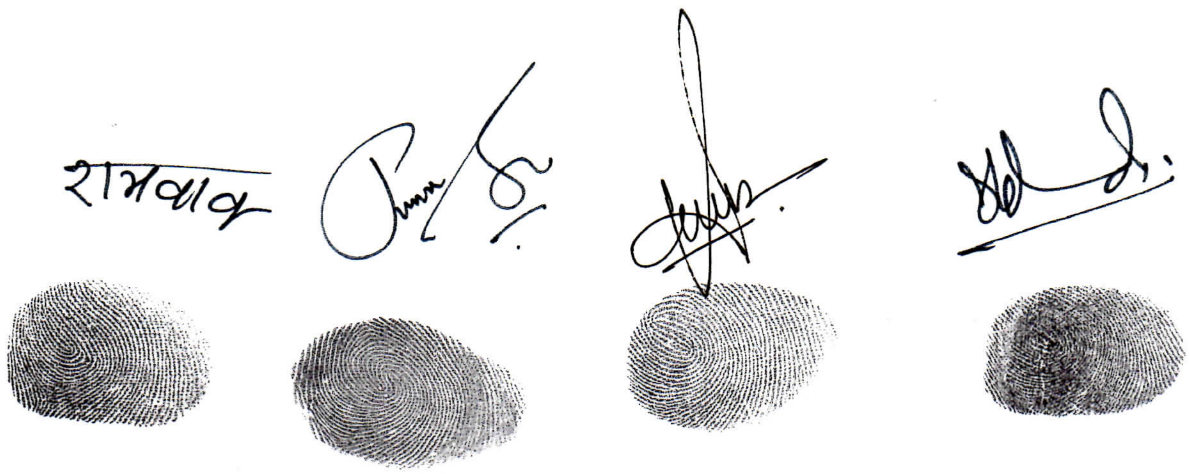

143 के अन्तर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है। दस्तावेज हाजा में उ0प्र0 सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0 –5–2756/11–2008– दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार कम्पनी द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 7,00,000/– पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

खाता सं0	**आराजी नम्बर**	**रकवा**
00340	273	0.332 हे0

कुल 1 किता रकवा 0.332 हे0 का 1/3 भाग यानि रकवा 0.1106 हे0 मे से रकवा 0.081 हे0 वय किया गया है। विक्रित आराजी की सम्पूर्ण चौहद्दी – पूरब – आराजी नं0 274, पश्चिम – आराजी नं0 270, उत्तर– आराजी नं0 260 व 261, दक्षिण – आराजी नं0 272 है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नही है।

विक्रय मूल्य – **7,00,000/– सात लाख रूपया जरिये चैक नं0 000294 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांक 01.03.2023 पूर्व प्राप्त कर लिया है।**

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य } – **6,81,000/– छैः लाख इक्यासी हजार रूपया से अधिक नहीं हैं।**

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है, चूँकि मुझ विक्रेता को रूपयों की जरूरत है। अतः मैं विक्रेता उक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त कतई वय व फरोख्त करता हूँ। कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को मौके पर बखूवी करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काश्त करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें, आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा या मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स मिलकीयत की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य पूरे–पूरे वर्णित किये गये हैं विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नहीं है और न ही किसी बैंक या विभाग में बंधक है। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

मुकरर्र यह है कि उपरोक्त बैनामा में मु0 49,000/— रूपया e-Stamp Certificate No. IN-UP4834576355799V स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

गवाह (1) — श्री नीरज राजपूत पुत्र श्री राम बाबू राजपूत निवासी— ग्राम सिमरधा, करारी, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 8579 से की गई है मो0नं0 8299109503 (पेशा— कृषि)

गवाह (2) — श्री अनिल गौतम पुत्र श्री राम चरन निवासी— आर0बी0 द्वितीय 508—बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 7849 से की गई है। मो0नं0 7007198185 (पेशा— प्राईवेट नौकरी)

दिनांक — 01—03—2023ई0

प्रारूपकर्ता — राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झाँसी
अनुज्ञप्ति सं0 1/2010—11 मो0नं0 9415401278
टाईपकर्ता — दीपक सिंह

राजेश कुमार सिंह
दस्तावेज लेखक तह0—झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या 1 वर्ष 2010/20
लिया गया शुल्क—
वैधता वर्ष 20.. से 20..

रामबाबू

गवाह (1)

Neeraj

गवाह (2)

Anil

नीरज राजपूत पुत्र श्री राम बाबू राजपूत निवासी ग्राम सिमरधा करारी तह० व जिला झाँसी

अनिल गौतम पुत्र श्री राम चरन निवासी आर०बी० द्वितीय 508 बी रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कालोनी तह० व जिला झाँसी

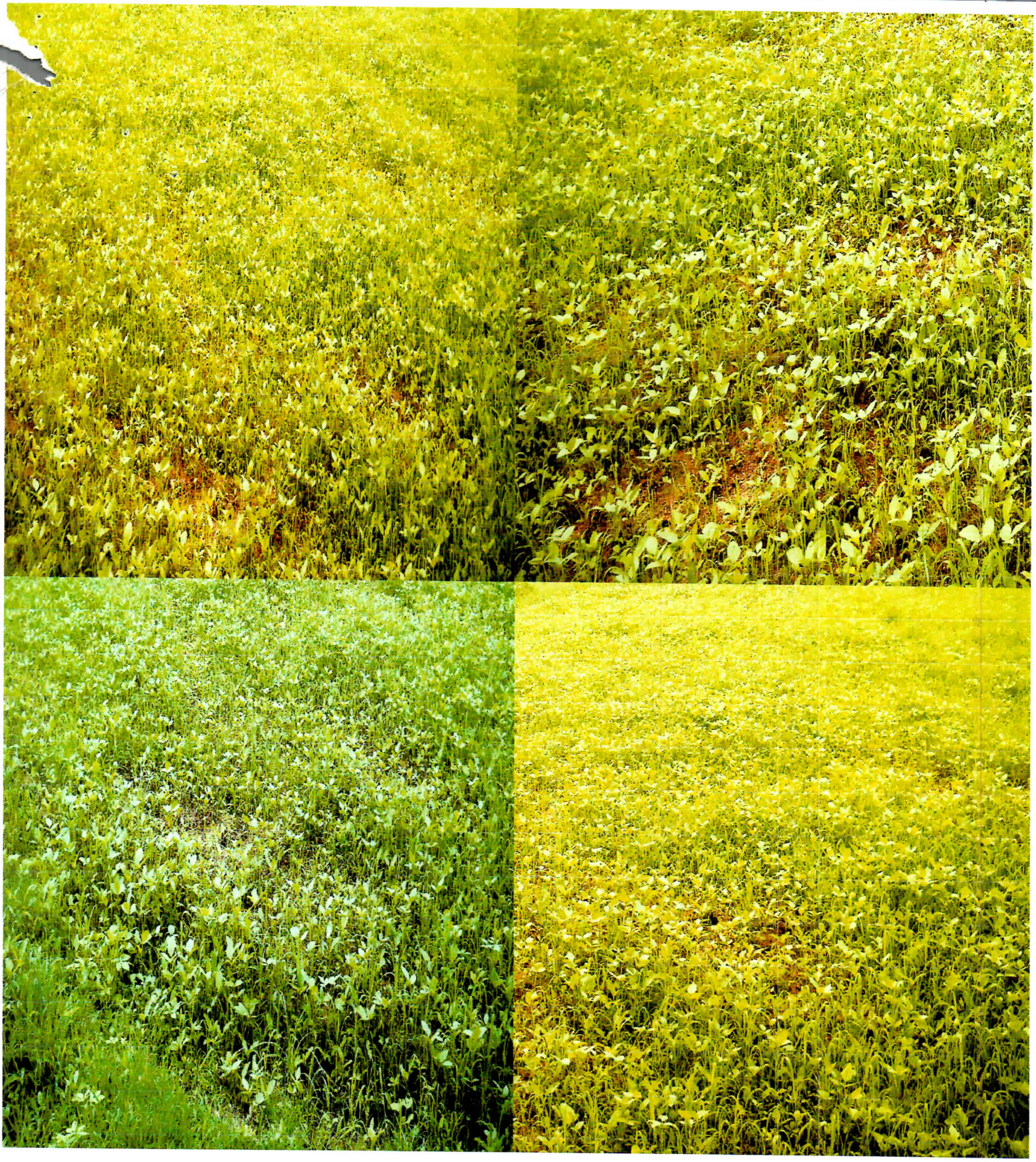

एक किता आराजी कृषि योग्य
स्थित मौजा - सिमरथा
नाम विक्रेता श्री राम बाबू
नाम क्रेता श्री पीताम्बरा इन्फ्रा
चौहादी
पूर्व आराजी नं०- 274,
पश्चिम आराजी नं०- 270,
उत्तर आराजी नं०- 260 व 261
दक्षिण आराजी नं०- 272

रामबाबू

विक्रेता   क्रेता

सम्राट स्टूडियो
119, अलीगोल झाँसी
M 9415588883

नक्शा –नजरी

विक्रेता का नाम श्री राम बाबू ....

क्रेता का नाम पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एल.एल.पी.

मौजा सिमरधा

तहसील, परगना व जिला झाँसी

भूमि नम्बर –263.

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समपत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

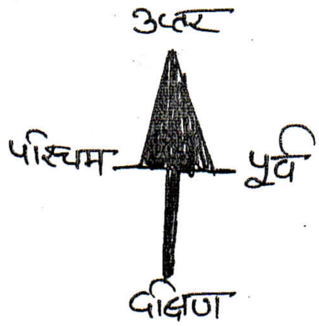

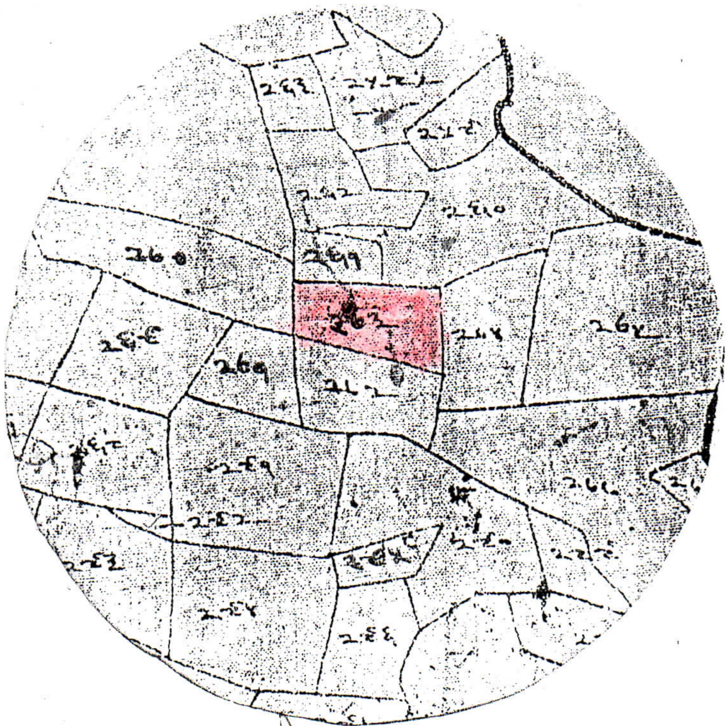

रामबाबू

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

MOHD. SALMAN KHAN
OFF/RES ... E
AUTH. D/MAN (CIVIL)
J.D.A., JHANSI
L. No. 61 ....DATE 7/3/2023
MOB No.-829... 1065

आवेदन सं०: 202300860006329

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10097 के पृष्ठ 357 से 374 तक क्रमांक 2119 पर दिनाँक 02/03/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
झांसी
02/03/2023

[illegible] U.P. [illegible]

कार्यालय उप निबन्धक
HANSI (U.P.)

JHANSI (U.P.

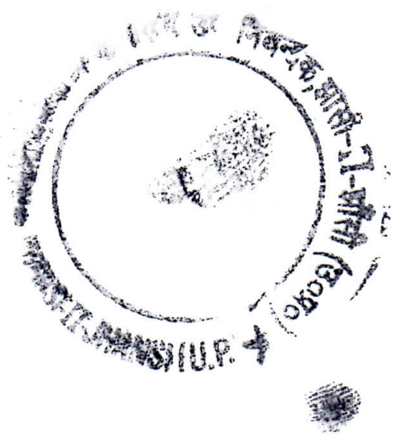

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
झांसी
02/03/2023

निबंधक लिपिक झांसी
02/03/2023

पुष्टि विलेख 58,59

आवेदन सं०: 202300860006329

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 2119 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री रामबाबू, पुत्र श्री खुमान

निवासी: 5, सिमरधा, तहसील व जिला झांसी

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा पवन कुमार साहू, पुत्र श्री संतोष कुमार साहू

निवासी: 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 2

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा अमन मदान, पुत्र श्री अवतार सिंह

निवासी: 452/2ए, सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड, झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 3

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा शशिकान्त दिवेदी, पुत्र श्री स्व०विशम्भर प्रसाद दिवेदी

निवासी: 1054/2ए, खाती बाबा मदिर, ईसाईटोला झांसी

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नीरज राजपूत, पुत्र श्री राम बाबू राजपूत

निवासी: ग्राम सिमरधा, करारी, झांसी

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री अनिल गौतम, पुत्र श्री राम चरन

निवासी: आर०बी० दितीय 508-बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी झांसी

व्यवसाय: अन्य

आवेदन सं०: 202300860006329

विक्रय पत्र

वर्ष: 2023

बही स०: 1 **रजिस्ट्रेशन स०: 2119**

प्रतिफल- 700000 स्टाम्प शुल्क- 49000 बाजारी मूल्य - 681000 पंजीकरण शुल्क - 7000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 7060

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा
पवन कुमार साहू अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री संतोष कुमार साहू
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झांसी

श्री, पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा

पवन कुमार साहू अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक
02/03/2023 एवं 11:43:32 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक :सदर द्वितीय
झांसी
02/03/2023

निबंधक लिपिक
02/03/2023

[illegible] (उ०प्र०) [illegible] U.P.

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,बबीना
मण्डल :झांसी , जनपद :झांसी , तहसील :झांसी
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202306370103549
वाद संख्या:- 3549/2023
पीताम्बरा इन्फासिटी डा० पवन कुमार साहू बनाम रामबाबू
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 25/04/2023

न्यायालय नायब तहसीलदार बबीना
बाद सं0-649/2023 मौजा-सिमरधा तहसील व जिला झॉसी।
निर्णय
प्रस्तुत वाद उपनिबन्धक कार्यालय की आर0 सी0 प्रपत्र 11 के आधार पर वाद योजित हुआ। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो ग्राम में मुश्तहरी मुनादी तामील वापिस हुआ। कोई आपत्ति नही आई। वादी द्वारा साक्ष्य में वैनामा संख्या 2119 दिनांक 02-03-2023 स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। लेखपाल ग्राम की आख्या प्राप्त हुई। लेखपाल ने अपनी आख्या में कहा कि क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि संक्रमणीय भूमि धर है। भूमि सीलिग की नही है। ग्राम में चकबन्दी हुई है। विक्रीत भूमि पर क्रेता का कब्जा हो गया है। क्रेता के पास क्रय की गई भूमि को शामिल करते हुए 18.75 एकड से अधिक भूमि नही है।
मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध सभी साक्ष्यों का सम्यक अध्ययन किया। वाद निर्विवाद है। अतः साक्ष्यो एंव लेखपाल कि रिपोर्ट के आधार पर क्रेता के हक में नामान्तरण वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा-सिमरधा तहसील व जिला झॉसी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता सं0 340 के गाटा सं0 273/ 0.332हे0 में से रकवा 0.081हे0 वय मालगुजारी 60 ख के अनुसार पर से विक्रेता-श्री रामबाबू पुत्र श्री खुमान निवासी-ग्राम सिमरधा तहसील व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता-श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी पता जीएस-01, विजन हाईट्स हाउसिंग सोसायटी, ओमशान्ति ग्रीन के सामने, राजघाट कॉलोनी के पास, शिवपुरी रोड, झांसी द्वारा डायरेक्टर्स श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू निवासी-91/1, सिविल लाईन, शहर व जिला झांसी व श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी-452/2ए, सी0पी0मिशन कम्पाउण्ड, शहर व जिला झांसी व श्री शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी-1054/2ए, खातीबाबा मंदिर, ईसाईटोला, शहर व जिला झांसी का नाम जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 02-03-2023 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर की जावे।

(मुकेश कुमार)
दिनांक- नायब तहसीलदार
बबीना

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"